

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR (M.P.) 470003
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)



क्रं. / कुल. कार्या. / लो.सू.कार्या. / 2024 / 8/814

दिनांक: 24/10/2024
अति आवश्यक

// परिपत्र //

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनों के विहित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा लोक सूचना कार्यालय में प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में चाही गई जानकारी को धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत विहित समय सीमा 30 दिवस के भीतर आवेदक को प्रेषित की जानी चाहिए। प्रायः यह देखने में आता है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/प्रकोष्ठों के संबंधित समलोक सूचना अधिकारियों द्वारा चाही गई जानकारी नियत अवधि 30 दिवस के उपरांत लोक सूचना कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है, जोकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन है।

विभिन्न विभागों/प्रकोष्ठों के संबंधित समलोक सूचना अधिकारियों द्वारा निश्चित समयावधि में जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर, आवेदक को संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिससे विश्वविद्यालय को राजस्व की भी हानि होती है। तथा इस संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा भी समय-समय पर निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में समस्त समलोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी को उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एवं उनके परिपालन में विनिर्दिष्ट समय सीमा में उपलब्ध करावें, अन्यथा धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपण (नियत समयावधि में जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर प्रत्येक दिन रूपया 250/- के हिसाब से अधिकतम रूपया 25,000/- तक) की कार्यवाही के लिए धारा 5 (5) के तहत समलोक सूचना अधिकारी के रूप में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

H. Prasad
24/10/2024

प्रभारी कुलसचिव

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति महोदया जी के निजी सचिव के माध्यम से कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी जी को सूचनार्थ।
4. लोक सूचना कार्यालय को सूचनार्थ।
5. समस्त समलोक सूचना अधिकारी (संयुक्त कुलसचिव/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक/सहायक निदेशक/शाखा प्रभारी/अनुभाग अधिकारी/डीन/वार्डन/ उपयंत्री / सहायक यंत्री/ विभिन्न समितियों के अध्यक्ष) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।